

राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

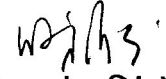
क्रमांक प.12(4)वित्त/आब/2018

जयपुर, दिनांक: 19/05/2025

आदेश

राजस्थान सरकार, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 12/17 और राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000 के नियम 8/13 के अधीन जारी मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रीकरण संख्या 08124007960043600005/2025 जारी दिनांक 03.03.2025 के अनुसार श्री कमलेश परमार, प्रभारी सहायक आबकारी अधिकारी, मैसर्स स्टार लाईट ब्रुकेम लि. सुन्दरी जिला बांसवाड़ा का दिनांक 18.02.2025 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 18.02.2025 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

आज्ञा से,



(जसवंत सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को उनके पत्र क्रमांक प01(ओ)(2) संस्था/आब/2023/EF-02084/437 दिनांक 12.05.2025 के संदर्भ में।
2. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, जयपुर।
4. तकनीकी निदेशक, कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग।
5. संबंधित अधिकारी का उत्तराधिकारी द्वारा आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
6. निजी पत्रावली संबंधित अधिकारीगण।
7. रक्षित पत्रावली।



संयुक्त शासन सचिव

कमरा नं. 4120 व 5125 मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

Room No.4120 & 5125, Main Building, Secretariat, Jaipur-302005

Phone: 0141-5153222 Ext. 24470 & 24458, Fax No. 0141-2227239 website:

www.finance.rajasthan.gov.in.email: dsfexcise@rajasthan.gov.in